

जावक क्रमांक 2487/25
जावक दिनांक 3.11.2025

संशोधित ज्ञापन पत्र

1. समिति का नाम :- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल (विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत समविश्वविद्यालय)
2. समिति का कार्यालय :- एन.आई.टी.टी.टी.आर. भवन, श्यामला हिल्स, शांति मार्ग, तहसील हुजूर जिला भोपाल 462002, मध्यप्रदेश में स्थित
3. समिति के वर्तमान उद्देश्य :-
 - I. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, व्यावसायिक, प्रबंधन शिक्षा/संस्थानों आदि सहित उच्च और तकनीकी शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए, ग्राहक प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने हेतु एक केंद्र के रूप में कार्य करना;
 - II. सहकारी शिक्षा योजना पर उद्योगों में तकनीकी शिक्षकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
 - III. उद्योग, समुदाय और समाज की प्रभावी ढंग से सेवा करने हेतु भावी कार्यबल तैयार करने हेतु शिक्षा प्रशिक्षण प्रणालियों और उसके प्रबंधन के विकास हेतु अनुसंधान इनपुट प्रदान करने हेतु व्यवस्थित अनुसंधान और प्रशिक्षण का कार्य करना;
 - IV. शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण-अधिगम वातावरण में सुधार और सेवारत पेशेवरों तथा औपचारिक (उद्योग/कॉर्पोरेट) और अनौपचारिक क्षेत्रों के कार्यबल के पुनर्कौशल/अपकौशल के लिए नवीन विधियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के विकास हेतु कार्य अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;
 - V. मल्टीमीडिया शिक्षण सामग्री के उत्पादन के लिए नई अनुदेशात्मक प्रणाली और रणनीतियाँ तैयार करना; तकनीकी, व्यावसायिक और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पाठ्यपुस्तकें, प्रयोगशाला मैनुअल, वीडियो कार्यक्रम और कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशात्मक मल्टीमीडिया पैकेज जैसे शिक्षण संसाधनों का विकास और प्रसार करना;
 - VI. ज्ञान की ऐसी शाखाओं में उत्कृष्टता और नवाचारों की ओर ले जाने वाली उच्च शिक्षा प्रदान करना, जिन्हें उपयुक्त समझा जा सकता है, मुख्य रूप से स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध डिग्री स्तरों पर, जो विश्वविद्यालय की अवधारणा के पूर्णतः अनुरूप हों; क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञता के अतिरिक्त अंतःविषयक या बहु-विषयक या पार-विषयक शिक्षण और अनुसंधान में संलग्न होना; राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त उच्च-गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था करना; प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को संवेदनशील बनाकर, प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना, पहचानना और बढ़ावा देना;
 - X. विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और अन्य विषयों के संकायों में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा प्रदान करना;
 - XI. समय के साथ शिक्षण, प्रशिक्षण और क्रियाशील/प्रणालीगत अनुसंधान-प्रधान विश्वविद्यालय में परिवर्तित होना;
 - XII. स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्रों, प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों, अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में केंद्रों, बेहतर उद्योग-शैक्षणिक संपर्कों, तथा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों को शामिल करते हुए अंतःविषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना;
 - XIII. समायोज्य और नवोन्मेषी पाठ्यक्रम प्रदान करना, जिसमें सामुदायिक सहभागिता और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, मूल्य-आधारित शिक्षा आदि के क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएँ शामिल हों;
 - XIV. सामाजिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में योगदान देना;
 - XV. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को अपनाना और उनका प्रचार करना;



(Handwritten signatures and initials)

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 13005
रजिस्ट्रेशन दिनांक 11/11/25
संशोधन दिनांक 19/8/25

(Handwritten signature)

18/25
he /
संस्थान
for

के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना;

- XVI. अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) जैसी इ
- XVII. प्रासंगिक वैधानिक निकाय द्वारा निर्दिष्ट शैक्षणिक अ, नातिक अवसरचना का स्वामित्व रखना;
- XVIII. वैधानिक निकाय के मानदंडों के अनुसार न्यूनतम शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात रखना;
- XIX. वैधानिक निकायों के मानदंडों को पूरा करते हुए एक प्रशासनिक क्षेत्र, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, स्वास्थ्य सेवा, सामान्य सुविधाएँ और मनोरंजक सुविधाएँ रखना;
- XX. अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ऑनलाइन और/या दूरस्थ शिक्षा मोड में शिक्षकों के लिए इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि में कार्यक्रम प्रदान करना;
- XXI. अन्य देशों, विशेष रूप से सार्क, आसियान और आईटीईसी देशों के शिक्षकों और सेवारत पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रदान करना;
- XXII. फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, पुरस्कार और पदक स्थापित करना और प्रदान करना;
- XXIII. शुल्क और अन्य प्रभार निर्धारित करना, मांग करना और प्राप्त करना;
- XXIV. संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम और संयुक्त दोहरी डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करने के लिए पारस्परिक हित के संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना;
- XXV. सतत और अनौपचारिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन और विस्तार एवं परामर्श सेवाएँ प्रदान करने में समुदाय और उद्योग के साथ सहयोग करना;
- XXVI. उद्योग, तकनीकी संस्थानों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों/संगठनों के लिए परामर्श और विस्तार कार्य करना;
- XXVII. भारत सरकार के अनुमोदन से देश के विभिन्न भागों में संस्थान के विस्तार केंद्र स्थापित करके राज्यों की बेहतर सेवा करना;
- XXVIII. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं के लिए सहायता सेवाएँ प्रदान करना तथा समय-समय पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपी गई सेवाएँ प्रदान करना;
- XXIX. संस्थान से संबंधित या उसमें निहित किसी संपत्ति को बेचना, समनुदेशित करना, बंधक रखना, पट्टा विनिमय करना और अन्यथा अंतरित या निपटान करना शामिल है, जैसा कि संस्थान अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उचित समझे, परंतु यह उपबंध होगा कि, संस्थान भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी अचल संपत्ति का किसी भी तरह से निपटान नहीं करेगा;
- XXX. उपहार, खरीद, विनिमय, पट्टा किराया या अन्यथा किसी भी संपत्ति, चल या अचल, जो समाज के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो सकता है और समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है, ऐसे भवनों, कार्यों और निर्माणों का निर्माण, निर्माण, सुधार, परिवर्तन, ध्वस्त और अधिग्रहण करने के लिए;
- विश्व के किसी भी भाग में स्थित उन शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना जिनके उद्देश्य संस्थान के उद्देश्यों से पूर्णतः या आंशिक रूप से मिलते-जुलते हों; शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और सामान्यतः ऐसे तरीके से जो उनके साझा उद्देश्यों के अनुकूल हों;
- संस्था के धन और धन का निवेश और लेन-देन करना;
- संस्था के प्रयोजनार्थ चेक, ड्राफ्ट, प्रमाणपत्र, उसीदें, सरकारी प्रतिभूतियाँ, वचन पत्र, विनिमय पत्र या अन्य लिखत और प्रतिभूतियाँ, चाहे वे परक्राम्य हों या हस्तांतरणीय हों या नहीं, निकालना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, छूट देना, निष्पादित करना, हस्ताक्षर करना, जारी करना और अन्यथा लेन-देन करना;
- XXXIV. लेखा और अन्य प्रासंगिक अभिलेख तैयार करना और उनका रखरखाव करना तथा लेखा-परीक्षा कार्यालय/महालेखाकार कार्यालय के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना; और
- XXXV. संस्थान के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या सहायक सभी कार्य करना।



[Handwritten signature]

[Handwritten initials 'NK']

[Handwritten signature]

सोसायटी रजिस्ट्रार नं. 1825
रजिस्ट्रेशन नं. 112/203
संशोधन दिनांक 18/8/25
अति. रजिस्ट्रार

पंजीयन के समय ज्ञापन पत्र में दर्शित यह तथ्य पदोधिकारियों की सूची बैधानिक नहीं है।

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध 'शराक परिषद, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धर्मों का उल्लेख निम्नानुक्रमित है:-

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धर्म
1.	डा. रामप्रसाद पुत्र स्व. श्री रामबरन	अध्यक्ष	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल	शासकीय अधिकारी
2.	डॉ. एस.एम.भाटिया पुत्र स्व.श्री सी.एल.भाटिया	सदस्य	संचालनालय तकनीकी शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल	शासकीय अधिकारी
3.	श्री श्रीराम केदार पुत्र श्री बलवंत एस.केदार	सदस्य	मेसर्स तिलक डेक्लपमेट प्रा.लि. ऐनर्जी डिविजन, 501, 3 rd ऐवहन्स अपार्टमेंट 3 कस्तूरबा क्रास रोड, वीरीवली (ई) मुंबई	उद्योगपति
4.	श्री परिन्दु के.भगत पुत्र श्री कन्हैयालाल भगत	सदस्य	मै. के.बी.भगत एंड कं. परिश्रम 28, पुनीत नगर सोसायटी पार्ट 3 उमिया विजय सेटेलाईट रोड, अहमदाबाद	कानूनी सलाहकार
5.	श्री ए.वी.एन.एस.शास्त्री पुत्र श्री ए. पुरषोत्तम	सदस्य	मानव संसाधन विकास मंत्रालय कमरा नं. 431 शास्त्री भवन नई दिल्ली	शासकीय अधिकारी
6.	श्री जे.एल.जुनेजा पुत्र स्व.श्री नेहाल चंद जुनेजा	सदस्य	संचालनालय तकनीकी शिक्षा गुजरात शासन सेक्टर 10, 11वीं मंजिल 2/2 डा. जुवराज मेहता भवन, गांधी नगर	शासकीय अधिकारी
7.	प्रो. प्रकाश चन्द्र जैन पुत्र स्व.श्री जी.सी.जैन	सदस्य/सचिव - निदेशक	ए-1 टी.टी.टी.आई. परिसर श्यामला हिल्स, भोपाल	शासकीय अधिकारी



TRUE-COPY

सोसायटी लखनऊ नं. 15005
रजिस्ट्रेशन दिनांक 11/12/88
संसाधन दिनांक 19/12/88
असि. रजिस्ट्रार
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CZ 015907

⇒ रजिस्ट्रार के संशोधित कोष व संशोधित नियमावली के 1998



CANCELLED
निरस्त

Mangaly
असि. रजिस्ट्रार
फर्मर्स एवं संस्थाएं
गोपल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

५

五



संशोधित नियमावली

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
(विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत समविश्वविद्यालय, शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002)

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 9/5/2020-यू.3(ए), दिनांक 22 फरवरी, 2024 के तहत विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया गया है।

क्र.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल (यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत समविश्वविद्यालय वाले संस्थान)
1)	संस्था (सोसायटी) का नाम और पंजीकरण विवरण: - i. सोसायटी का नाम राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल सोसायटी होगा, जिसे आगे "सोसायटी" कहा जाएगा। ii. संस्था का नाम राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल होगा, जिसे आगे "संस्था" कहा जाएगा। iii. एनआईटीटीटीआर भोपाल सोसायटी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44, 1973) के अंतर्गत पंजीकरण संख्या 01/01/01/13005/03 दिनांक 12.12.2003 के अनुसार पंजीकृत है। सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002 में स्थित होगा।
2)	परिभाषाएँ: - इस संस्था के संगठन-ज्ञापन और नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - i. "शैक्षणिक परिषद" का तात्पर्य संस्था की शैक्षणिक परिषद से है; ii. "अधिनियम" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की धारा 3) से है; iii. "संबद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त, उससे संबद्ध और उसके विशेषाधिकारों से युक्त महाविद्यालय से है; iv. "अध्ययन बोर्ड" का तात्पर्य संस्था के किसी विभाग के अध्ययन बोर्ड से है; v. "परिसर" का तात्पर्य संस्था के परिसर (शहर के भीतर एक या एक से अधिक स्थानों पर) से है जहाँ उसकी सुविधाएँ, संकाय, कर्मचारी, विद्यार्थी और शैक्षणिक विभाग स्थित हैं; vi. "केंद्र" का तात्पर्य संस्था के अध्ययन केंद्र से है; vii. "चांसलर", "वाइस-चांसलर" एवं "प्रो-चांसलर" का तात्पर्य क्रमशः संस्था के चांसलर, वाइस-चांसलर एवं प्रो-चांसलर से है; viii. "कॉलेज/महाविद्यालय" का अर्थ है कोई भी संस्थान, चाहे वह संबद्ध कॉलेज हो या कॉन्स्टिट्यूट/घटक कॉलेज, जिसे इस नाम से या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो और जो किसी विश्वविद्यालय से कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए, ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएचडी कार्यक्रम या सभी एक साथ प्रदान करता हो, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे कार्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए सक्षम माना गया हो; ix. "आयोग" का अर्थ अधिनियम के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) है; x. "कॉन्स्टिट्यूट/घटक इकाई" का अर्थ संस्थान की एक शैक्षणिक इकाई (विद्यालय या केंद्र या विभाग) है जो किसी संस्थान को समविश्वविद्यालय घोषित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि को विद्यमान है; xi. "विभाग" का अर्थ संस्थान का अध्ययन विभाग है; xii. "कार्यकारी परिषद" का अर्थ संस्थान की कार्यकारी परिषद है;



सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 13005
रजिस्ट्रेशन दिनांक 11/12/23
संशोधन दिनांक 19/10/25

(Handwritten signatures and initials)

- xiii. "विशेषज्ञ समिति" का अर्थ शिक्षाविदों और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी एक समिति है जिसमें वैधानिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं और जो आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित है;
- xiv. "सरकार" का अर्थ केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा से संबंधित विभाग है;
- xv. "समविश्वविद्यालय संस्थान" का अर्थ एनआईटीटीटीआर, भोपाल है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा आयोग की परामर्श पर घोषित किया गया है;
- xvi. "मुख्य परिसर" का अर्थ संस्थान का परिसर है, जहाँ इसकी प्रमुख सुविधाएँ, संकाय, कर्मचारी, विद्यार्थी, शैक्षणिक विभाग और प्रशासन स्थित हैं;
- xvii. एमओए/नियमों का अर्थ है संगठन/एसोसिएशन का ज्ञापन और/या सोसाइटी के नियमों से है;
- xviii. "एनएसी/नैक" का अर्थ है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से है;
- xix. "एनबीए" का अर्थ है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से है;
- xx. "आवश्यक अवसंरचना" का अर्थ है संबंधित वैधानिक निकाय या आयोग (जो भी लागू हो), के मानदंडों के अंतर्गत आवश्यक अवसंरचना;
- xxi. "एनईपी" का अर्थ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से है;
- xxii. "एनआईआरएफ" का अर्थ राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क से है;
- xxiii. "अधिसूचना" का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में जारी अधिसूचना से है जो किसी उच्च शिक्षा संस्थान को अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित करती है;
- xxiv. "ऑफ-कैंपस" का अर्थ है देश के मुख्य परिसर या परिसरों के अलावा, सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान का परिसर;
- xxv. "ऑफ-शोर कैंपस" का अर्थ है भारत के मुख्य परिसर के अलावा, भारत के बाहर, सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान का परिसर;
- xxvi. "प्रसंस्करण/प्रोसेसिंग शुल्क" का अर्थ है आवेदक संस्थान द्वारा आयोग को ऐसे आवेदन के प्रसंस्करण हेतु आवेदन के साथ देय शुल्क;
- xxvii. "विनियम" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय वाले संस्थान) विनियम, 2023, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- xxviii. "विद्यालय" या "संकाय" का अर्थ है संस्थान का कोई विद्यालय या अध्ययन संकाय;
- xxix. "प्रायोजक निकाय/स्पॉन्सिंग बॉडी" का अर्थ है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- xxx. "स्थायी समिति" का अर्थ है शिक्षाविदों और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से युक्त एक समिति, जिसमें वैधानिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल हों और जिसे आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- xxxi. "वैधानिक निकाय" का अर्थ उच्च शिक्षा के प्रासंगिक क्षेत्रों में गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने या बनाए रखने के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत गठित निकाय है, जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय बार काउंसिल (बीसीआई), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई), भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), या संसद के किसी अधिनियम के तहत स्थापित कोई अन्य सांविधिक निकाय शामिल हैं;
- xxxii. "शिक्षक" का अर्थ है प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और ऐसे अन्य शैक्षणिक कर्मचारी जिन्हें संस्थान में निर्देश देने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें सहायक संकाय

सोसाइटी रजिस्ट्रार न 150015

संशोधन दिनांक 11/12/23

संशोधन दिनांक 19/8/25

प.अ.सि. सजिदरा

	या प्रोफेसर ऑफ़ प्रैक्टिस या विजिटिंग फैकल्टी शामिल हैं; और xxxiii. इन विनियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों, परंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।
3)	सोसाइटी की संरचना:- सोसाइटी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: I. माननीय शिक्षा मंत्री: अध्यक्ष II. माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष III. सोसाइटी के माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रख्यात विद्वान: सदस्य IV. सचिव (उच्च शिक्षा विभाग), शिक्षा मंत्रालय: सदस्य V. अध्यक्ष, यूजीसी: सदस्य VI. संस्थान के मामलों की देखरेख करने वाले शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव/संयुक्त सचिव: सदस्य VII. सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामलों की देखरेख करने वाले शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव/संयुक्त सचिव: सदस्य VIII. चांसलर, एनआईटीटीटीआर, भोपाल: सदस्य IX. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय: सदस्य X. वॉइस चांसलर, एनआईटीटीटीआर, भोपाल: सदस्य सचिव
4)	सोसायटी के उद्देश्य:- सोसायटी का उद्देश्य और कार्य संस्था का प्रशासन और प्रबंधन स्थापित करना और संचालन होगा।
5)	(क) सोसायटी की अधिकार एवं कार्य: - I. संस्था के कामकाज को सुगम बनाना। II. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित संस्था के वार्षिक लेखा विवरण पर विचार करना एवं उसे अपनाना। III. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना। (ख) सोसायटी की बैठकें: - I. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों पर विचार करने के लिए सोसायटी की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर से पहले आयोजित की जाएगी। II. सोसायटी के पचास प्रतिशत सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति/कोरम होंगे। III. सोसाइटी की बैठक अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा, या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सोसाइटी के वरिष्ठतम सदस्यों द्वारा आयोजित की जाएगी। IV. सोसाइटी की प्रत्येक बैठक के लिए पंद्रह स्पष्ट दिनों की सूचना दी जाएगी। V. कोई भी कार्य, जो सोसाइटी के लिए अत्यावश्यक या आवश्यक हो, उसके सदस्यों के बीच उपयुक्त प्रस्ताव प्रसारित करके किया जा सकता है। इस प्रकार प्रसारित और साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई भी प्रस्ताव प्रभावी और बाध्यकारी होगा मानो ऐसा प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक में पारित किया गया हो। VI. अध्यक्ष सहित सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि सोसाइटी द्वारा निर्धारित किसी प्रश्न पर मत बराबर हों, तो इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा।



सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 13005
 रजिस्ट्रेशन दिनांक 11/12/23
 संशोधन दिनांक 19/8/25
 4
 प्रो. रजिस्ट्रार

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

(ग) संगठन के ज्ञापन (एमओए) में परिवर्तन:

यदि, जिस उद्देश्य के लिए सोसायटी का गठन किया गया है, उसे परिवर्तित करना, विस्तारित करना या संक्षिप्त करना या सोसायटी को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी अन्य सोसायटी या समान उद्देश्य वाले निकाय के साथ समामेलित करना या सोसायटी के संस्था के ज्ञापन में संशोधन करना समीचीन समझा जाता है, तो यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार और शिक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

6)

संस्था के उद्देश्य: -

- I. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, व्यावसायिक, प्रबंधन शिक्षा/संस्थानों आदि सहित उच्च और तकनीकी शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए, ग्राहक प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने हेतु एक केंद्र के रूप में कार्य करना;
- II. सहकारी शिक्षा योजना पर उद्योगों में तकनीकी शिक्षकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- III. उद्योग, समुदाय और समाज की प्रभावी ढंग से सेवा करने हेतु भावी कार्यबल तैयार करने हेतु शिक्षा प्रशिक्षण प्रणालियों और उसके प्रबंधन के विकास हेतु अनुसंधान इनपुट प्रदान करने हेतु व्यवस्थित अनुसंधान और प्रशिक्षण का कार्य करना;
- IV. IV. शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण-अधिगम वातावरण में सुधार और सेवारत पेशवरों तथा औपचारिक (उद्योग/कॉर्पोरेट) और अनौपचारिक क्षेत्रों के कार्यबल के पुनर्कौशल/अपकौशल के लिए नवीन विधियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के विकास हेतु कार्य अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;
- V. मल्टीमीडिया शिक्षण सामग्री के उत्पादन के लिए नई अनुदेशात्मक प्रणाली और रणनीतियाँ तैयार करना; तकनीकी, व्यावसायिक और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पाठ्यपुस्तकें, प्रयोगशाला मैनुअल, वीडियो कार्यक्रम और कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशात्मक मल्टीमीडिया पैकेज जैसे शिक्षण संसाधनों का विकास और प्रसार करना;
- VI. ज्ञान की ऐसी शाखाओं में उत्कृष्टता और नवाचारों की ओर ले जाने वाली उच्च शिक्षा प्रदान करना, जिन्हें उपयुक्त समझा जा सकता है, मुख्य रूप से स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध डिग्री स्तरों पर, जो विश्वविद्यालय की अवधारणा के पूर्णतः अनुरूप हो;
- VII. क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञता के अतिरिक्त अंतःविषयक या बहु-विषयक या पार-विषयक शिक्षण और अनुसंधान में संलग्न होना;
- VIII. राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त उच्च-गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था करना;
- IX. प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को संवेदनशील बनाकर, प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना, पहचानना और बढ़ावा देना;
- X. विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और अन्य विषयों के संकायों में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा प्रदान करना;
- XI. समय के साथ शिक्षण, प्रशिक्षण और क्रियाशील/प्रणालीगत अनुसंधान-प्रधान विश्वविद्यालय में परिवर्तित होना;



सोसायटी लखनऊ नं. 1800-25
संशोधन विभाग 11/10/25
संशोधन विभाग 19/10/25

असि. रजिस्ट्रार

- XII. स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्रों, प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों, अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में केंद्रों, बेहतर उद्योग-शैक्षणिक संपर्कों, तथा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों को शामिल करते हुए अंतःविषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना;
- XIII. समायोज्य और नवोन्मेषी पाठ्यक्रम प्रदान करना, जिसमें सामुदायिक सहभागिता और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, मूल्य-आधारित शिक्षा आदि के क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएँ शामिल हों;
- XIV. सामाजिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में योगदान देना;
- XV. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को अपनाना और उनका प्रचार करना;
- XVI. अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) जैसी इकाइयों की स्थापना करके अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना;
- XVII. प्रासंगिक वैधानिक निकाय द्वारा निर्दिष्ट शैक्षणिक और भौतिक अवसंरचना का स्वामित्व रखना;
- XVIII. वैधानिक निकाय के मानदंडों के अनुसार न्यूनतम शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात रखना;
- XIX. वैधानिक निकायों के मानदंडों को पूरा करते हुए एक प्रशासनिक क्षेत्र, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, स्वास्थ्य सेवा, सामान्य सुविधाएँ और मनोरंजक सुविधाएँ रखना;
- XX. अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ऑनलाइन और/या दूरस्थ शिक्षा मोड में शिक्षकों के लिए इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि में कार्यक्रम प्रदान करना;
- XXI. अन्य देशों, विशेष रूप से सार्क, आसियान और आईटीईसी देशों के शिक्षकों और सेवारत पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रदान करना;
- XXII. फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, पुरस्कार और पदक स्थापित करना और प्रदान करना;
- XXIII. शुल्क और अन्य प्रभार निर्धारित करना, मांग करना और प्राप्त करना;
- XXIV. संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम और संयुक्त दोहरी डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करने के लिए पारस्परिक हित के संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना;
- XXV. सतत और अनौपचारिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन और विस्तार एवं परामर्श सेवाएँ प्रदान करने में समुदाय और उद्योग के साथ सहयोग करना;
- XXVI. उद्योग, तकनीकी संस्थानों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों/संगठनों के लिए परामर्श और विस्तार कार्य करना;
- XXVII. भारत सरकार के अनुमोदन से देश के विभिन्न भागों में संस्थान के विस्तार केंद्र स्थापित करके राज्यों की बेहतर सेवा करना;
- XXVIII. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना तथा समय-समय पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपी गई सेवाएं प्रदान करना;
- XXIX. संस्थान से संबंधित या उसमें निहित किसी संपत्ति को बेचना, समनुदेशित करना, बंधक रखना, पट्टा विनिमय करना और अन्यथा अंतरित या निपटान करना शामिल है, जैसा कि संस्थान अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उचित समझे, परंतु यह उपबंध होगा कि, संस्थान भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी अचल संपत्ति का किसी भी तरह से निपटान नहीं करेगा;



सोपानबद्धी प्रक्रिया के तहत, बिना किसी भी अचल संपत्ति का किसी भी तरह से निपटान नहीं करेगा;
 19/12/25
 2025



XXX. उपहार, खरीद, विनिमय, पट्टा किराया या अन्यथा किसी भी संपत्ति, चल या अचल, जो समाज के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो सकता है और समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है, ऐसे भवनों, कार्यों और निर्माणों का निर्माण, निर्माण, सुधार, परिवर्तन, ध्वस्त और अधिग्रहण करने के लिए;

XXXI. विश्व के किसी भी भाग में स्थित उन शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना जिनके उद्देश्य संस्थान के उद्देश्यों से पूर्णतः या आंशिक रूप से मिलते-जुलते हों, शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और सामान्यतः ऐसे तरीके से जो उनके साझा उद्देश्यों के अनुकूल हों;

XXXII. संस्था के धन और धन का निवेश और लेन-देन करना;

XXXIII. संस्था के प्रयोजनार्थ चेक, ड्राफ्ट, प्रमाणपत्र, रसीदें, सरकारी प्रतिभूतियाँ, वचन पत्र, विनिमय पत्र या अन्य लिखित और प्रतिभूतियाँ, चाहे वे परक्राम्य हों या हस्तांतरणीय हों या नहीं, निकालना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, छूट देना, निष्पादित करना, हस्ताक्षर करना, जारी करना और अन्यथा लेन-देन करना;

XXXIV. लेखा और अन्य प्रासंगिक अभिलेख तैयार करना और उनका रखरखाव करना तथा लेखा-परीक्षा कार्यालय/महालेखाकार कार्यालय के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना; और

XXXV. संस्थान के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या सहायक सभी कार्य करना।

ऑफ-कैंपस केंद्र:-

I. संस्थान सामान्यतः अपने परिसर में ही संचालित होगा और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में आने वाले अनुमोदित अध्ययन कार्यक्रम संचालित करेगा।

II. संस्थान नियमों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति से नए ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू कर सकता है।

8) ऑफ-शोर कैंपस:- संस्थान अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऑफ-शोर कैंपस शुरू कर सकते हैं।

9) पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/विद्यालय/केन्द्र: विनियमों के अनुसार इसकी कार्यकारी परिषद, प्रासंगिक वैधानिक निकायों और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के साथ, संस्थान अपने मौजूदा परिसर और अनुमोदित ऑफ-कैंपस केंद्रों में किसी भी क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू कर सकता है।

10) शासन/गवर्नेंस:-

I. संस्था, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44, 1973) के अंतर्गत पंजीकरण सं.01/01/01/13005/03 दिनांक 12.12.2003 के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है।

II. संस्था की सभी चल और अचल संपत्तियों का उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन, अनुसंधान को बढ़ावा देने और आउटरीच शैक्षणिक गतिविधियों सहित संस्था की संबंधित प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

III. संस्था का सर्वोच्च शासी निकाय कार्यकारी परिषद होगी, जिसकी अध्यक्षता वाइस चांसलर करेंगे और जिसमें कम से कम दस और अधिक से अधिक तेरह सदस्य होंगे।

IV. कार्यकारी परिषद संस्था का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी।

संस्था के अध्यक्ष का पद सं. 13/2005
संस्था के अध्यक्ष का पद सं. 11/2/92
संस्था के अध्यक्ष का पद सं. 19/18/25

संस्था के अध्यक्ष का पद सं. 19/18/25

11)	संस्थान के प्राधिकारी: निम्नलिखित संस्थान के प्राधिकारी होंगे, अर्थात्: I. कार्यकारी परिषद (ईसी) II. शैक्षणिक परिषद (एसी) III. वित्त समिति (एफसी) IV. ऐसे अन्य प्राधिकारियों को संविधि/नियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किया जा सकता है।	सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं 19.005 रजिस्ट्रेशन दिनांक 11.12.103 संस्थापक/सचिव का नाम 19.12.103
12)	कार्यकारी परिषद (ईसी):- कार्यकारी परिषद की संरचना निम्नानुसार होगी; i. वाइस चांसलर-अध्यक्ष ii. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हों या उनका/उनका एक प्रतिनिधि जो वित्तीय मामलों को देखता हो, भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। iii. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि, जो सलाहकार-ग्रेड के पद से नीचे का न हों, एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा नामित किया जाएगा। iv. अध्ययन विद्यालयों के अधिष्ठाताओं में से दो सदस्य, रोटेशन द्वारा, वाइस चांसलर द्वारा नियुक्त किए जाएंगे; v. एक प्राध्यापक, जो अधिष्ठाता ना हो, रोटेशन द्वारा, वाइस चांसलर द्वारा नियुक्त किया जाएगा; vi. एक सह-प्राध्यापक, रोटेशन द्वारा, वाइस चांसलर द्वारा नियुक्त किया जाएगा; vii. एक सहायक प्राध्यापक, रोटेशन द्वारा, वाइस चांसलर द्वारा नियुक्त किया जाएगा; viii. सोसायटी के अध्यक्ष के अधिकतम चार नामित व्यक्ति। ix. रजिस्ट्रार - पदेन सचिव होंगे।	सचिव: सचिव
13)	कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल: I. वाइस चांसलर के अलावा कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और संकायाध्यक्षों के मामले में, कार्यकाल तीन वर्ष का होगा या जब तक वे संकायाध्यक्ष का पद धारण करते हैं, जो भी पहले हो। II. वाइस चांसलर द्वारा प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक श्रेणी से नियुक्त कार्यकारी परिषद के सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे संस्थान के शिक्षक नहीं रहते, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे। किसी सदस्य के त्यागपत्र या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थता के कारण होने वाली कोई भी रिक्ति वाइस चांसलर द्वारा भरी जाएगी।	
14)	कार्यकारी परिषद के अधिकार एवं सीमाएँ:- I. कार्यकारी परिषद को संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन की शक्ति होगी। II. कार्यकारी परिषद शैक्षणिक, प्रशासनिक, कार्मिक, वित्तीय और विकासात्मक मामलों सहित संस्थान के प्रत्येक मामले के संबंध में संस्थान का अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय होगी। III. इन विनियमों और संस्थान के नियमों के प्रावधानों के अधीन, कार्यकारी परिषद को, इसमें निहित अन्य सभी अधिकारों के अतिरिक्त, निम्नलिखित अधिकार भी होंगे, अर्थात्: i. उक्त प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर, आवश्यकतानुसार, अध्यक्षों सहित, ऐसे प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना; ii. संस्थान के नियमों के अनुसार संस्थान के कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करना;	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	iii. विजिटिंग प्रोफेसरों, एमेरिटस प्रोफेसरों, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, प्रौद्योगिकीविदों, सलाहकारों, विद्वानों आदि की नियुक्ति का प्रावधान करना और ऐसी नियुक्तियों के नियम और शर्तें निर्धारित करना; iv. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो संस्था के नियमों और विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं; v. संस्था के लिए नियम और विनियम बनाना; और vi. पदों का सृजन कार्यकारी परिषद द्वारा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।
15)	कार्यकारी परिषद की बैठकें:- I. कार्यकारी परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार (एक छः माही में न्यूनतम दो बार) होगी, कार्यकारी परिषद की प्रत्येक बैठक से कम से कम सात दिन पहले पूर्व सूचना दी जाएगी और आपातकालीन बैठकें भी कम समय की सूचना पर बुलाई जा सकती हैं, तथा ऐसी आपातकालीन बैठक के लिए कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाने चाहिए। II. कार्यकारी परिषद के कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या बैठक के लिए गणपूर्ति/कोरम होगी। III. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित कार्यकारी परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। IV. कार्यकारी परिषद के प्रत्येक सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है, का एक मत होगा और कार्यकारी परिषद की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे; और बराबर मतों की स्थिति में, अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा। V. कोई भी कार्य, जो प्रकृति में अत्यावश्यक हो, अपने सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा किया जा सकता है। VI. प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बैठक के आयोजन के बाद यथाशीघ्र संस्थान के चांसलर को उपलब्ध कराई जाएगी।
16)	सदस्यता की समाप्ति:- यदि वाइस चांसलर और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है या उचित अनुपस्थिति की अनुमति के बिना कार्यकारी परिषद की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो ऐसा सदस्य कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं रहेगा।
17)	कार्यकारी परिषद के अधिकारों का प्रत्यायोजन:- कार्यकारी परिषद, एक प्रस्ताव द्वारा, वाइस चांसलर या किसी अन्य अधिकारी या संकाय को या संस्थान के अधिकारियों या संकायों की समिति को ऐसे अधिकार प्रत्यायोजित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे, इस शर्त के अधीन कि वाइस चांसलर या अधिकारी या संकाय या समिति द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार के प्रयोग में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में दी जाएगी।



सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 13005-
 रजिस्ट्रेशन दिनांक 11/12/15
 संशोधन दिनांक 19/12/15

8 अति सचिव

18)

शैक्षणिक परिषद:-

I. शैक्षणिक परिषद संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और संस्थान के नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संस्थान की शैक्षणिक नीति का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

II. शैक्षणिक परिषद की संरचना निम्नानुसार होगी-

क) वाइस चांसलर - अध्यक्ष;

ख) स्कूलों के संकायों के अधिष्ठाता, अन्य अधिष्ठाता और विभागाध्यक्ष या केंद्राध्यक्ष;

ग) विभिन्न स्कूलों, विभागों या केंद्रों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए वाइस चांसलर द्वारा नामित किए जाने वाले अधिकतम दस प्राध्यापक (स्कूलों के संकायों के अधिष्ठाता, अन्य अधिष्ठाता और विभागाध्यक्ष को छोड़कर);

घ) विभागों या केंद्रों के प्रमुखों के अलावा विभागों या केंद्रों से वाइस चांसलर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम पाँच सह-प्राध्यापक;

ङ) विभागों या केंद्रों के प्रमुखों के अलावा विभागों या केंद्रों से कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम पाँच सहायक प्रोफेसर;

च) वाइस चांसलर द्वारा नामित शिक्षाविदों या विशिष्ट ज्ञान के विशेषज्ञों में से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो संस्थान की सेवा में नहीं हैं; और

छ) कुलसचिव/संबंधित अधिष्ठाता, जो शैक्षणिक परिषद के पदेन सचिव होंगे।

III. विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व चुनाव के माध्यम से नहीं बल्कि रोटेशन के माध्यम से होगा और पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और परीक्षा नियंत्रक अकादमिक परिषद की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होगा।

19)

शैक्षणिक परिषद के अधिकार एवं कार्य:- संस्थान के इन विनियमों और नियमों के प्रावधानों के अधीन, शैक्षणिक परिषद को, इसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात्:-

i. समविश्वविद्यालय संस्थान की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और शिक्षण विधियों, विभागों या संकायों या विद्यालयों या केंद्रों के बीच शिक्षण समन्वय, अनुसंधान के मूल्यांकन और शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;

ii. अंतर-विभागीय, अंतर-संकाय, अंतर-विद्यालय, अंतर-केंद्र समन्वय स्थापित करना और उसे बढ़ावा देना तथा ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझा जाए;

iii. सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर या तो स्वयं पहल करके, या किसी विभाग या संकाय या विद्यालय या केंद्र या कार्यकारी परिषद द्वारा दिए गए संदर्भ पर विचार करना और उस पर उचित कार्रवाई करना;

iv. समविश्वविद्यालय संस्थान की डिग्री और डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम निर्धारित करना;

v. समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों और उपनियमों के अनुरूप परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना;

vi. परीक्षा के उचित मानक बनाए रखना;

vii. विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के डिप्लोमा और डिग्रियों को मान्यता देना और समविश्वविद्यालय संस्था के डिप्लोमा और डिग्रियों के साथ उनकी समतुल्यता निर्धारित करना;

viii. फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार आदि प्रदान करना;



- ix. समविश्वविद्यालय संस्था के शैक्षणिक कार्य, प्रवेश, परीक्षा, फेलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा, रियायतें, उपस्थिति, अनुशासन, निवास आदि से संबंधित नियम बनाना;
- x. विभागों या केंद्रों की गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा करना और शिक्षण के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के लिए उचित कार्रवाई करना;
- xi. कार्यकारी परिषद को शिक्षण पदों (प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक) की स्थापना की अनुशंसा करना;
- xii. विभागों या केंद्रों या स्कूलों या संकायों आदि की स्थापना या समाप्ति के लिए कार्यकारी परिषद को अनुशंसा करना।
- xiii. कार्यकारी परिषद को अनुशंसा करना; और
- xiv. ऐसी अन्य अधिकारों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो संस्था के नियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जा सकते हैं।

20) शैक्षणिक परिषद की बैठक:-

- I. शैक्षणिक परिषद आवश्यकतानुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम चार बार (एक छमाही में कम से कम दो बार) बैठक करेगी। शैक्षणिक परिषद की प्रत्येक बैठक से कम से कम सात दिन पहले पूर्व सूचना दी जाएगी और आपातकालीन बैठकें भी कम समय की सूचना पर बुलाई जा सकती हैं, तथा ऐसी आपातकालीन बैठक के लिए कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाने चाहिए।
- II. शैक्षणिक परिषद के कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या शैक्षणिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति/कोरम का गठन करेगी।
- III. शैक्षणिक परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और किसी भी बैठक में उनकी अनुपस्थिति में, उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य द्वारा की जाएगी।
- IV. अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा, और शैक्षणिक परिषद की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे; और बराबर मतों की स्थिति में, अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा।
- V. कोई भी कार्य, जो प्रकृति में अत्यावश्यक हो, अपने सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा किया जा सकता है।

वित्त समिति:- वित्त समिति (एफसी) की संरचना इस प्रकार होगी:

- I. वाइस चांसलर - अध्यक्ष
- II. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संबंधित ब्यूरो के संयुक्त सचिव
- III. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार।
- IV. एनआईटीटीआईआर, भोपाल सोसाइटी द्वारा नामित एक सदस्य।
- V. कार्यकारी समिति के तीन नामित व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक कार्यकारी समिति का सदस्य होगा।
- VI. संस्थान के कुलपति द्वारा प्रस्तावित पैनल में से संस्थान के चांसलर द्वारा नामित तीन सदस्य।
- VII. वित्त अधिकारी/संबंधित अधिष्ठाता (पदेन गैर-सदस्य सचिव)

22) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल:- वित्त समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।



संस्थापक सचिव नं. 15005
संस्थापक सचिव दिनांक 11/12/22
संस्थापक सचिव दिनांक 19/12/22

संस्थापक सचिव

23) वित्त समिति के अधिकार एवं कार्य:-

- I. वित्त समिति, लेखाओं की जाँच और व्यय प्रस्तावों की पुनरीक्षण हेतु शैक्षणिक वर्ष में कम से कम चार बार (प्रत्येक छमाही में कम से कम दो बार) बैठक करेगी और वित्त समिति के कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या बैठक के लिए गणपूर्ति/कोरम होगी।
- II. वित्त समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और किसी भी बैठक में उनकी अनुपस्थिति में, उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों में से चुने गए किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।
- III. पदों के सृजन और उन पदों से संबंधित सभी प्रस्तावों, जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया है, की कार्यकारी परिषद द्वारा विचार करने से पहले वित्त समिति द्वारा जाँच की जाएगी और शुल्क में छूट, छात्रवृत्ति की स्थापना, निःशुल्क शिक्षा और किसी भी अन्य वित्तीय लाभ पर निर्णय लिया जाएगा।
- IV. वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए संस्थान के वार्षिक लेखे और वित्तीय अनुमान, विचार और टिप्पणियों के लिए वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे और उसके बाद उन्हें अनुमोदन के लिए कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- V. वित्त समिति संस्था की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय की सीमाओं की अनुशंसा करेगी।

24) अध्ययन बोर्ड:-

I. संस्थान के प्रत्येक विभाग/या स्कूल के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा। अध्ययन बोर्ड की संरचना इस प्रकार होगी-

- 1) स्कूल के अधिष्ठाता या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष;
- 2) स्कूल या विभाग के सभी प्राध्यापक;
- 3) स्कूल या विभाग के दो सह-प्राध्यापक, रोटेशन अनुसार;
- 4) स्कूल या विभाग के दो सहायक प्राध्यापक, रोटेशन अनुसार; और
- 5) दो बाह्य विशेषज्ञ, जिन्हें उनके विशिष्ट ज्ञान के लिए सहयोजित किया जाएगा।

II. शैक्षणिक परिषद के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, अध्ययन बोर्ड के कार्य विभिन्न डिग्रियों के लिए शोध विषयों और शोध डिग्रियों की अन्य आवश्यकताओं को अनुमोदित करना और संबंधित स्कूल बोर्ड को संस्थान के नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से निम्नलिखित के संबंध में सिफारिश करना होगा -

- 1) अध्ययन के पाठ्यक्रम; परीक्षा योजना, परीक्षकों की नियुक्ति।
- 2) शोध के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और
- 3) शिक्षण और अनुसंधान के मानकों में सुधार के उपाय।

III. अध्ययन बोर्ड के अधिकार और कार्य संस्थान के नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

25) शिक्षण कर्मचारी की नियुक्ति के लिए चयन समिति:- तकनीकी संस्थानों में शिक्षण और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तों और न्यूनतम योग्यताओं पर एआईसीटीई विनियमों और तकनीकी शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपायों - (डिग्री) विनियमन, 2019 या संबंधित नियामक द्वारा किसी अन्य मानदंड और समय-समय पर संशोधित के अनुसार, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यकारी परिषद को अनुशंसा करने के लिए एक या एक से अधिक चयन समितियां गठित की जाएंगी।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 18005
रजिस्ट्रेशन दिनांक: 11/12/2019
संशोधन दिनांक: 19/8/2021

संस्था सचिव

26)	अयोग्यता:- I. कोई व्यक्ति किसी भी प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने या होने, या संस्था का अधिकारी नियुक्त होने या होने के लिए निम्न स्थितियों में अयोग्य होगा; 1) यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है; या 2) यदि वह अमुक्त दिवालिया है; या 3) यदि उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और उसके संबंध में कम से कम छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है; या 4) यदि उसे इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया है। II. यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति ऊपर वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रस्त है या रहा है, तो प्रश्न चांसलर को भेजा जाएगा, और उनका निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।
27)	विभिन्न प्राधिकरणों से संबंधित विविध मामले:- I. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार द्वारा नामित या नियुक्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संस्था के किसी प्राधिकरण या समिति के सदस्य के रूप में विधिवत नामित या नियुक्त किया गया है या वह ऐसा करने का हकदार है, तो मामला चांसलर या कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। II. किसी भी प्राधिकरण के पदेन सदस्य के अलावा कोई भी सदस्य, रजिस्ट्रार को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है, और यह त्यागपत्र सोसायटी के अध्यक्ष या कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने पर प्रभावी हो जाएगा। III. संस्था के किसी भी प्राधिकरण या किसी समिति के सदस्यों में अचानक रिक्तियां संबंधित प्राधिकरण द्वारा यथाशीघ्र और छह महीने की अवधि के भीतर भरी जाएंगी।
28)	समविध्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान के अधिकारी: संस्थान के अधिकारी निम्नलिखित होंगे: - चांसलर - वाइस चांसलर - कुलसचिव/रजिस्ट्रार - वित्त अधिकारी - परीक्षा नियंत्रक - अधिष्ठाता - विभागाध्यक्ष/स्कूल सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 13005 रजिस्ट्रार दिनांक 11/12/23 संशोधन दिनांक 19/12/25 रजिस्ट्रार
29)	चांसलर/कुलाधिपति: I. संस्थान के चांसलर की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाएगी। चांसलर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और चांसलर की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। II. चांसलर, अपने पद के आधार पर, संस्थान के प्रमुख होंगे और यदि उपस्थित हों, तो उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित संस्थान के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। III. चांसलर को भारत सरकार के आदेश के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा।



1. वाइस चांसलर संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) द्वारा सुझाए गए तीन नामों के पैनल में से की जाएगी। एससीएससी की संरचना इस प्रकार होगी:

- 1) शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्ति, जो पद के स्तर के अनुरूप प्रतिष्ठित और पर्याप्त रूप से उच्च प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा: अध्यक्ष
- 2) संस्थान के चांसलर द्वारा नामित व्यक्ति: सदस्य
- 3) संस्थान की कार्यकारी समिति द्वारा नामित व्यक्ति: सदस्य

II. वाइस चांसलर की योग्यताएं समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार होंगी।

III. वाइस चांसलर, अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

साथ ही रजिस्ट्रार नं. 13005

कस्टोडियन दिनांक 12/03

मेधन दिनांक 12/03

परंतु यह उपबंध होगा कि, उक्त पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते, तथापि, किसी भी स्थिति में वाइस चांसलर सत्तर वर्ष की आयु से अधिक पद धारण नहीं करेंगे।

8 अक्टूबर 2018

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय वाइस चांसलर को, उनके कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात, पद पर बने रहने के लिए निर्देश दे सकता है जोकि एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा।

IV. यदि वाइस चांसलर का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है, या यदि वह अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो शिक्षा मंत्रालय संस्थान के वरिष्ठतम प्राध्यापक या किसी अन्य प्रतिष्ठित शिक्षाविद् को कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आरंभ में छह महीने की अवधि के लिए या नए वाइस चांसलर के पदभार ग्रहण करने या मौजूदा वाइस चांसलर के अपने पद के कर्तव्यों को फिर से संभालने तक, जैसी भी स्थिति हो, नियुक्त करेगा।

31) वाइस चांसलर के अधिकार एवं कर्तव्य:-

- I. वाइस चांसलर संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा संस्थान के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखेगा तथा संस्थान के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी करेगा।
- II. वाइस चांसलर, यदि उनकी राय में किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो इन विनियमों द्वारा या इनके अंतर्गत संस्थान के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी अगली बैठक में ऐसे प्राधिकारी को ऐसे मामले पर अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना देंगे: परंतु यह उपबंध होगा कि, यदि इस उप-विनियम में उल्लिखित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को चांसलर को संदर्भित कर सकते हैं, जिनका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

परंतु यह उपबंध होगा कि, संस्थान की सेवा में कोई भी व्यक्ति, जो इस विनियम के अंतर्गत वाइस चांसलर द्वारा की गई कार्यवाई से व्यथित है, उसे ऐसी कार्यवाई के विरुद्ध उस तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कार्यकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, जिस तिथि को ऐसी कार्यवाई पर निर्णय उसे सूचित किया जाता है और उसके बाद कार्यकारी परिषद वाइस चांसलर द्वारा की गई कार्यवाई की पुष्टि, संशोधन या विपरीत कार्यवाई कर सकती है।

- III. यदि वाइस चांसलर की यह राय है कि संस्थान के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी के अधिकार से परे है या लिया गया कोई निर्णय संस्थान के हित में नहीं है, तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे निर्णय के साठ दिनों के भीतर अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए कह सकता है और यदि प्राधिकारी निर्णय की पूर्णतः या आंशिक रूप से समीक्षा करने से इनकार करता है या साठ दिनों की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो मामला चांसलर को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- IV. वाइस चांसलर कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और चांसलर की अनुपस्थिति में, छात्रों को उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।
- V. वाइस चांसलर संस्थान के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, लेकिन वोट देने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो।
- VI. वाइस चांसलर का यह कर्तव्य होगा कि वे देखें कि इन विनियमों का विधिवत पालन और कार्यान्वयन किया जाए, और उनके पास ऐसे कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी अधिकार होंगे।
- VII. वाइस चांसलर के पास संस्थान में अनुशासन के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक सभी अधिकार होंगे, और वह ऐसा कोई भी अधिकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंप सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझें।
- VIII. वाइस चांसलर के पास कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति और अन्य प्राधिकरणों की बैठकें बुलाने या बुलाने की शक्ति होगी।

32)

वाइस चांसलर का निष्कासन:-

- I. जहां यह मानने के कारण हों कि संस्थान के वाइस चांसलर के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018, समय-समय पर संशोधित, के तहत अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं, या इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया है या उसने कोई वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता की है, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार मामले की जांच के लिए शैक्षणिक, प्रशासनिक या वित्तीय विशेषज्ञों से युक्त एक जांच समिति का गठन करेगी।

II. जांच समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले वाइस चांसलर को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी और इस अंतराल अवधि में, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर, चांसलर, जांच तंत्रित रहने तक वाइस चांसलर को निलंबित कर देंगे और वाइस चांसलर को केवल शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही हटाया जाएगा।



सोसायटी रजिस्ट्रार नं. 12345

राज्य नं. 12345

राज्य नं. 12345

5/11/2023

33)

कुलसचिव/रजिस्ट्रार:-

I. रजिस्ट्रार संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और उसे कार्यकारी परिषद द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा: -

- i. वाइस चांसलर - अध्यक्ष;
- ii. चांसलर द्वारा नामित एक व्यक्ति
- iii. कार्यकारी परिषद द्वारा नामित दो सदस्य; और
- iv. कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक विशेषज्ञ, जो संस्थान की सेवा में न हो।

II. चयन समिति की बैठक चांसलर द्वारा नामित व्यक्ति और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विशेषज्ञों के साथ पूर्व परामर्श के बाद तथा उनकी सुविधा के अधीन निर्धारित की जाएगी और चयन समिति की कार्यवाही तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि चांसलर द्वारा नामित व्यक्तियों या कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों में से कम से कम तीन व्यक्ति बैठक में उपस्थित न हों।

III. रजिस्ट्रार, पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और रजिस्ट्रार के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा; परंतु यह उपबंध होगा-कि, रजिस्ट्रार बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संवानिवृत्त हो जाएगा और रजिस्ट्रार की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संस्थान के नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

IV. जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो या जब रजिस्ट्रार बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे वाइस चांसलर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।

V. रजिस्ट्रार कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक परिषद का पदेन सचिव होगा, लेकिन वह इनमें से किसी भी प्राधिकरण का सदस्य नहीं माना जाएगा।

VI. रजिस्ट्रार सीधे वाइस चांसलर के प्रति उत्तरदायी होगा तथा उनके निर्देशन में कार्य करेगा।

VII. रजिस्ट्रार को शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जैसा कि कार्यकारी परिषद के आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है और उन्हें जाँच लंबित रहने तक निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर निंदा का दंड लगाने या वेतन वृद्धि रोकने का अधिकार होगा।

परंतु यह उपबंध होगा कि, ऐसा कोई दंड तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

VIII. उप-विनियम (VII) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने वाले रजिस्ट्रार के किसी भी आदेश के विरुद्ध वाइस चांसलर को अपील की जा सकेगी।

IX. यदि जांच से पता चलता है कि रजिस्ट्रार के अधिकार से परे दंड की आवश्यकता है, तो रजिस्ट्रार जांच के समापन पर अपनी अनुशंसाओं के साथ वाइस चांसलर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

परंतु यह उपबंध होगा कि, वाइस चांसलर द्वारा कोई दंड लगाने के आदेश के विरुद्ध कार्यकारी परिषद में अपील की जा सकेगी।

X. रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह -

3005 1) अभिलेखों, सामान्य मुहर और संस्था की ऐसी अन्य संपत्ति का संरक्षक हो, जिसे कार्यकारी परिषद

सोमप्रवर्ती एग्रीमेंट न. उसे सौंपे;

रजिस्ट्रार दिनांक 11/12/03.

समाधान दिनांक 19/12/03.

3 अति. रजिस्ट्रार

- 2) कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठकें बुलाने संबंधी सभी सूचनाएं जारी करना;
- 3) कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखे;
- 4) कार्यकारी परिषद और शैक्षिक परिषद के बीच आधिकारिक पत्राचार करे;
- 5) संस्था के प्राधिकारियों की बैठकों के एजेंडे की प्रतियां जारी होते ही चांसलर को उपलब्ध कराए;
- 6) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमों या कार्यवाहियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करे, वकालतनामा पर हस्ताक्षर करे और अभिवचनों का सत्यापन करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करे;
- 7) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो संस्थान के नियमों में निर्दिष्ट हों या जैसा भी मामला हो, कार्यकारी परिषद या वाइस चांसलर द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों;
- 8) संस्थान की ओर से समझौता करना, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और अभिलेखों को प्रमाणित करना;
- 9) संस्थान के भवनों, उद्यानों, कार्यालय, कैटीन, कारों और अन्य वाहनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, वाचनालयों, उपकरणों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव की व्यवस्था करना; और
- 10) संस्थान के अधिकारियों की ओर से आधिकारिक पत्राचार करना।

34)

वित्त अधिकारी:-

- I. वित्त अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी और वह संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।
- II. वित्त अधिकारी की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए की जाएगी और वह संस्थान के नियमों के अनुसार वित्त अधिकारी की नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परंतु यह उपबंध होगा कि, वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।
- III. वित्त अधिकारी की परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँगी।
- IV. जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त अधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे वाइस चांसलर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।
- V. वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, लेकिन उसे ऐसी समिति का सदस्य नहीं माना जाएगा।
- VI. वित्त अधिकारी:
 - अ) समविश्वविद्यालय संस्था के कोषों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उसे उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा; और
 - ब) ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करेगा जो उसे कार्यकारी परिषद द्वारा सौंपे जाएँ या जो समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँ।
- VII. कार्यकारी परिषद के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी-
 - 1) यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी परिषद द्वारा वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय की निर्धारित सीमा



- का उल्लंघन न हो और सभी धनराशियाँ उसी उद्देश्य पर व्यय की जाएँ जिसके लिए उन्हें स्वीकृत या आवंटित किया गया है; .
- 2) संस्थान के वार्षिक लेखे और बजट तैयार करने और कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होना;
 - 3) नकदी और बैंक शेषों तथा निवेशों की स्थिति पर निरंतर नज़र रखना;
 - 4) राजस्व संग्रहण की प्रगति पर नज़र रखना और संग्रहण की प्रयुक्त विधियों पर सलाह देना;
 - 5) यह सुनिश्चित करना कि सभी कार्यालयों, विभागों, स्कूलों, संकायों, केंद्रों और विशिष्ट प्रयोगशालाओं में भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टर अद्यतन और अनुरक्षित हों और उपकरणों तथा अन्य उपभोग्य सामग्रियों का स्टॉक जाँचा जाता हो;
 - 6) अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को वाइस चांसलर के ध्यान में लाना और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देना;
 - 7) संस्थान द्वारा संचालित किसी भी कार्यालय, विभाग, स्कूल, संकाय, केंद्र, प्रयोगशाला आदि से कोई भी जानकारी या विवरणी मांगना जिसे वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे; और
 - 8) वाइस चांसलर के निर्देशन में कार्य करना और वाइस चांसलर के माध्यम से कार्यकारी परिषद के प्रति उत्तरदायी होना।

संस्थान संकेत नं. 12005

रजिस्ट्रार संकेत नं. 11/2102

संस्थान दिनांक 19/8/25

35)

परीक्षा नियंत्रक:-

- I. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी और वह संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।
- II. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परंतु यह उपबंध होगा कि, परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।
- III. परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँगी।
- IV. जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो या जब परीक्षा नियंत्रक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे वाइस चांसलर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।
- V. परीक्षा नियंत्रक संस्थान के नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से संस्थान की परीक्षाओं की व्यवस्था और पर्यवेक्षण करेगा।
- VI. परीक्षा नियंत्रक शैक्षणिक परिषद का स्थायी आमंत्रित सदस्य होगा।
- VII. परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और वाइस चांसलर के सभी विशिष्ट निर्देशों का पालन किया जाए।

36)

अधिष्ठाता/डीन:-

- I. संबद्ध विषयों से संबंधित विभागों को संकायों या स्कूलों आदि में समूहीकृत किया जा सकता है, और प्रत्येक संकाय का प्रमुख अधिष्ठाता होगा। अधिष्ठाता को विशिष्ट दायित्वों के लिए भी नियुक्त किया जाएगा, जैसे कि छात्र मामले, शैक्षणिक मामले, पूर्व छात्र मामले, अनुसंधान एवं विकास, योजना एवं निगरानी, संपदा एवं अवसंरचना विकास एवं रखरखाव, कॉपीराइट एवं उद्योग संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मामले।



विं

महो

संस्थ
कर

2. सं

3. व



	विवरणिका में यह भी उल्लेख होगा कि दान या कैपिटेशन शुल्क, किसी भी नाम या रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, छात्र या अभिभावक से नहीं लिया जाएगा और किसी भी शिकायत की स्थिति में, छात्र या अभिभावक संस्थान में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 5) संस्थान शुल्क में छूट या छात्रवृत्ति प्रदान कर सकता है या समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के मेधावी छात्रों को कुछ सीटें आवंटित कर सकता है। 6) संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी अधिसूचनाओं, शुल्क वापसी और मूल प्रमाणपत्रों की वापसी के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों का पालन करेगा। 7) प्रत्येक संस्थान उम्मीदवारों के चयन की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखेगा, ऐसे रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा और ऐसे रिकॉर्ड को कम से कम पाँच वर्षों तक सुरक्षित रखेगा। 8) संस्थान को प्रवेश शुरू होने से कम से कम साठ दिन पहले अपनी वेबसाइट पर विवरणिका उपलब्ध करानी होगी, जिसमें शुल्क, संरचना, वापसी नीति, कार्यक्रम में सीटों की संख्या, पात्रता योग्यता, प्रवेश प्रक्रिया आदि शामिल होगी। 9) संस्थान छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के किसी भी मूल प्रमाण पत्र को अपने पास नहीं रखेगा।
39)	समविश्वविद्यालय संस्थान सभी के लिए:- I. यह संस्था सभी लिंगों एवं किसी भी जाति, धर्म, नस्ल या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुली होगी, और यह विधिसम्मत नहीं होगा कि संस्था किसी व्यक्ति पर धार्मिक विश्वास अथवा आस्था की किसी भी प्रकार की परीक्षा या शर्त इस उद्देश्य से लागू करे कि उसे संस्था में संकाय सदस्य (फैकल्टी सदस्य) के रूप में नियुक्त किया जा सके, अथवा किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जा सके, या उसे संस्था में छात्र के रूप में प्रवेश दिया जा सके, अथवा संस्था से स्नातक किया जा सके, या संस्था की किसी भी विशेष सुविधा या अधिकार का उपभोग अथवा प्रयोग किया जा सके: परंतु यह उपबंध इस प्रकार नहीं माना जाएगा कि यह संस्था को महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, अथवा समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के रोजगार या प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करने से रोके। II. प्रवेश, शुल्क और रोजगार के मामलों में सभी नीतियां और प्रक्रियाएं, जो सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालय पर लागू होती हैं, लागू होंगी।
40)	समविश्वविद्यालय संस्था का एकात्मक होना:- संस्था प्रकृति में एकात्मक होगी तथा किसी अन्य संस्था से संबद्ध नहीं होगी।
41)	आरक्षण नीति:- संस्थान भारत के संविधान और संसद के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश और भर्ती में आरक्षण संबंधी नीति को लागू करेगा और अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी जानकारी प्रकाशित करेगा।
42)	ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा:- संस्थान समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार ऑनलाइन या दूरस्थ पाठ्यक्रम या डिग्री प्रदान कर सकता है।
43)	विनियमों के उल्लंघन के लिए जांच करने का अधिकार और उसका परिणाम:- I. जहाँ सरकार या आयोग, जैसा भी मामला हो, को शिकायत या अन्यथा यह जानकारी प्राप्त होती है कि किसी संस्थान ने इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो वह संस्थान को उक्त आशय का नोटिस जारी करने के बाद ऐसी जानकारी के तथ्यों की जांच करवाएगा। II. आयोग जांच के प्रयोजनार्थ शैक्षणिक परिणामों या संस्थान के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में शैक्षणिक, प्रशासन और वित्त के विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण भी करवा सकता है।



	III. जाँच के आधार पर या इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से, यदि सरकार या आयोग, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि विनियमों का उल्लंघन किया गया है, तो संस्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय वाले संस्थान) विनियम, 2023 में प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
44)	निधि, लेखा, लेखा परीक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन:- I. संस्था की लेखा पुस्तकों का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन संस्था के नाम से किया जाएगा, न कि प्रायोजक निकाय या किसी अन्य निकाय के नाम से; और उन्हें कार्यकारी परिषद द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में रखा जाएगा और वे इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित नियमों या विनियमों, यदि कोई हों, के अनुरूप होंगी। II. संस्था के खातों से किसी भी समय निधियों को किसी अन्य खाते में, जिसमें प्रायोजक निकाय या किसी अन्य निकाय के खाते भी शामिल हैं, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। III. संस्था अपनी लेखा पुस्तकों का वार्षिक लेखा परीक्षण कराएगी, उन्हें अलग से प्रकाशित कराएगी और संस्था की वेबसाइट पर अपलोड करेगी; और संस्था के खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जांच के लिए खुले रहेंगे और संस्था के खाते, जहां आवश्यक हो, आयोग द्वारा निरीक्षण के लिए भी खुले रहेंगे। IV. वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखों का परीक्षण एक योग्य पेशेवर द्वारा किया जाएगा, जो भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का सदस्य या फेलो हो, और जिसे संस्था द्वारा नियुक्त किया जाएगा: परंतु यह उपबंध होगा कि, यदि आयोग को संस्था के खातों में वित्तीय अनियमितता, गबन अथवा धनराशि के अवैध उपयोग; अथवा इन विनियमों के प्रावधानों के विपरीत शुल्क वसूली की सूचना प्राप्त होती है, तो आयोग संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि उक्त शिकायत के संदर्भ में निरीक्षण, जिसमें फॉरेंसिक ऑडिट भी सम्मिलित हो, क्यों न आदेशित किया जाए; तथा प्रतिवादी संस्था को उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, यदि आयोग इस बात से संतुष्ट होता है कि आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह आयोग की एक टीम द्वारा निरीक्षण करवा सकता है अथवा फॉरेंसिक ऑडिट का निर्देश दे सकता है; निरीक्षण दल की रिपोर्ट तथा फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट दोनों को सम्मिलित रूप से आयोग द्वारा आगे की कार्रवाई के आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिसमें इन विनियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करना शामिल है, जैसे कि संस्था की मान्यता को समाप्त करने की संस्तुति सरकार को करना। V. वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण और वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।
45)	समीक्षा करने, जाँच करने और निर्देश जारी करने का अधिकार:- I. भारत सरकार संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने, उसके मामलों की जाँच करने और उस पर निर्देशानुसार रिपोर्ट देने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। II. जाँच के लंबित रहने या अन्यथा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, एक स्पष्ट आदेश के माध्यम से, संस्थान की कार्यकारी समिति, कार्यकारी परिषद या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी भी प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है। III. ऐसी किसी भी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, भारत सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकती है और ऐसे निर्देश (किसी भी प्रस्ताव को रद्द करने सहित) जारी कर सकती है, जैसा कि वह रिपोर्ट में शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक समझे, और संस्थान ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

सोसायटी रजिस्ट्रार नं. 13005-
 रजिस्ट्रेशन दिनांक 11/12/23
 संस्थान दिनांक 19/8/25

असिस्टेंट रजिस्ट्रार

46)	ज्ञापन एवं विनियमों में परिवर्तन:- कार्यकारी समिति के पास संस्थान के ऐसे नियमों और उप-नियमों को बनाने, बदलने, संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार होगा, जिन्हें संस्थान के सुचारू संचालन के हित में आवश्यक समझा जाए।
47)	अनुशासनात्मक कार्यवाही:- अवचार, असंतोषजनक प्रदर्शन आदि के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में समय-समय पर कार्यकारी समिति द्वारा अपनाए गए भारत सरकार के मौजूदा नियम संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।
48)	कानूनी कार्यवाही - I. रजिस्ट्रार, संस्था के विरुद्ध अथवा संस्था की ओर से किसी भी विधिक कार्यवाही के लिए वादी या प्रतिवादी बन सकता है। रजिस्ट्रार को संस्था की ओर से अनुबंध करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा अभिलेखों का प्रमाणीकरण करने का अधिकार प्राप्त होगा, तथा उसे इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार प्राप्त होगा। II. इन विनियमों के अनुसरण में किए गए, किए जाने के लिए अभिप्रेत या आशयित किसी भी कार्य के संबंध में सरकार या आयोग के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। III. उपरोक्त किसी भी प्रावधान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2023 में निर्धारित किसी अन्य प्रावधान का अनुपालन न करने की स्थिति में, संस्थान पर निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई की जा सकती है, अर्थात्: क) आयोग या सरकार द्वारा गठित जांच समिति द्वारा स्थापित इन विनियमों के उल्लंघन के लिए, संस्थान को सार्वजनिक सूचना के साथ लिखित रूप में चेतावनी दी जाएगी या नए पाठ्यक्रमों या अध्ययन कार्यक्रमों या विभागों में विविधीकरण और ऑफ-कैंपस या ऑफ-शोर कैंपस की स्थापना के संदर्भ में किसी भी विस्तार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए या जांच समिति द्वारा अनुशंसित अवधि के लिए, जो भी अधिक हो, रोक लगाई जाएगी; ख) आयोग या सरकार द्वारा गठित जांच समिति द्वारा स्थापित विनियमों का निरंतर उल्लंघन करने पर पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम या विभाग और ऑफ-कैंपस या घटक संस्थान या ऑफ-शोर कैंपस बंद हो सकते हैं या संस्थान का विश्वविद्यालय माना जाने का दर्जा वापस लिया जा सकता है; ग) स्थिति के समर्पण या वापसी की स्थिति में छात्रों के हितों की रक्षा के लिए, जैसा भी मामला हो, यह तभी प्रभावी होगा जब संस्थान या उसकी घटक इकाइयों के रोल पर छात्रों के अंतिम बैच को अध्ययन कार्यक्रम पूरा करने और डिग्री प्रदान करने के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर दिया गया हो।
49)	विविध:- I. संस्थान, शैक्षणिक कार्यक्रम के पूरा होने के बाद यथाशीघ्र, और किसी भी स्थिति में ऐसे पूरा होने की तिथि से 180 दिनों के बाद, यह सुनिश्चित करेगा कि अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या कोई अन्य योग्यता छात्रों को प्रदान की जाए और उपलब्ध कराई जाए। II. समविश्वविद्यालय वाले संस्थान अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाएंगे, अपने छात्रों की पहचान करेंगे और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दें और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएं।



सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 13005-
 संस्था किसी भी समय किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का
 सहायक व्यवस्थापन नं. 1112/23
 संशोधन दिनांक 19/12/23

असि. रजिस्ट्रार

प्रेचाइजी समझौता या व्यवस्था नहीं करेगी, जिसके तहत संस्था के ऑफ-कैंपस या ऑफ-शोर कैंपस या घटक इकाइयों या पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम या विभाग या स्कूल या संकाय की स्थापना, रखरखाव या संचालन किया जाएगा, सिवाय निम्नलिखित मामलों के, अर्थात:—

अ) यदि कोई संस्थान यूजीसी (विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2023 के विनियम 8 के उप-विनियम (I) और (II) के अंतर्गत पात्र है, तो वह किसी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है, यदि-

i. ऐसे संस्थान की स्थापना, रखरखाव या संचालन संसद के किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के अंतर्गत अनुमत है; और

ii. उसने इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद यूजीसी (विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2023 के विनियम 8 के उप-विनियम (III) के अंतर्गत आवेदन किया है।

ब) ऐसे समझौते या व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किया जाने वाला परिसर -

i. संस्थान के एक ऑफ-कैंपस केंद्र के रूप में माना जाएगा, जब तक कि ऐसा समझौता या व्यवस्था ऐसे कानून के तहत वैध रहती है; और

ii. संस्थान के समान गैर-लाभकारी इकाई के रूप में लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के मानकों के अधीन;

स) यदि कोई संस्थान यूजीसी (विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2023 के विनियम 8 के अंतर्गत पात्र है, तो वह कौशल-उन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए समझौता या व्यवस्था कर सकता है, बशर्ते ऐसा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संसद के किसी अधिनियम के तहत स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा अनुमोदित हो।

द) ट्विनिंग कार्यक्रम, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम और दोहरी डिग्री कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग) विनियम, 2022 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

संस्था की आय और संपत्ति का उपयोग केवल संस्था के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

आयोग को सरकार की किसी सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के लिए या किसी लागू कानून के संबंध में किसी संस्था को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें संस्था द्वारा किसी कानून या नीति के उल्लंघन के मामले में उचित निर्देश भी शामिल होंगे।

VI. संस्था की आय और संपत्ति का कोई भी भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लाभांश, बोनस या किसी अन्य तरीके से, उन व्यक्तियों को, जो किसी समय संस्था के सदस्य थे या हैं, या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को, भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह उपबंध होगा कि, इसमें निहित कोई भी बात संस्था के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को संस्था को प्रदान की गई किसी सेवा या यात्रा या अन्य भत्ते और ऐसे अन्य शुल्कों के बदले में सद्भावपूर्वक पारिश्रमिक के भुगतान को नहीं रोकेगी।

VII. आयोग के परामर्श से सरकार को अधिसूचना में ऐसी अन्य शर्तें लगाने का अधिकार होगा जो इन विनियमों से असंगत न हों, और वे संस्था पर बाध्यकारी होंगी।



3005-
11/12/23
21/8/25

VIII. जहां संस्थान "समविश्वविद्यालय वाले संस्थान" का अपना दर्जा छोड़ना चाहता है, तो उसे सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसा करना होगा; और इसी प्रकार, संस्थान के किसी घटक इकाई या ऑफ-कैंपस या ऑफ-शोर परिसर को संस्थान के दायरे से वापस लेने के लिए प्रायोजक निकाय को सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी:

परंतु यह उपबंध होगा कि, ऐसा समर्पण या वापसी, जैसा भी मामला हो, संस्थान या उसके घटक इकाइयों के रोल पर छात्रों के अंतिम बैच के बाद ही प्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो, अध्ययन के कार्यक्रम को पूरा करने और डिग्री प्रदान करने के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर दिया गया हो।

IX. संस्था केन्द्रीय सरकार या आयोग को अपनी संपत्ति या गतिविधियों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगी, जिसकी केन्द्रीय सरकार या आयोग समय-समय पर अपेक्षा करे, तथा यह अवधि केन्द्रीय सरकार या आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी।

X. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए संस्था के दीक्षांत समारोह ऐसी रीति से आयोजित किए जाएंगे जैसा कि संस्था के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।

XI. कार्यकारी परिषद, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, किसी व्यक्ति को संस्था द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक विशिष्टता की उपाधि या प्रदत्त कोई प्रमाणपत्र या डिप्लोमा, उचित और पर्याप्त कारण होने पर वापस ले सकेगी। परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को लिखित सूचना न दे दी जाए जिसमें उससे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने को कहा गया हो कि ऐसा प्रस्ताव क्यों न पारित किया जाए और जब तक उसकी आपत्तियों, यदि कोई हों, और उनके समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी साक्ष्य पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार न कर लिया जाए।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 13005

रजिस्ट्रेशन दिनांक 11/12/23

अंतिम तिथि 19/8/25

XII. इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में मतभेद की स्थिति में, आयोग की राय अंतिम होगी।

XIII. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय वाले संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा जारी किसी अन्य विनियम में किसी भी असंगति या विरोधाभासी प्रावधानों के मामले में लागू होंगे।

परिवर्तनीय प्रावधान:- इस संगठन जापन में निहित किसी बात के होते हुए भी;

1. इस समझौता जापन के लागू होने से ठीक पहले एनआईटीटीटीआर, भोपाल द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उसी कार्यकाल के लिए, उसी पारिश्रमिक और ऐसी शर्तों पर और पेंशन, छुट्टी, ग्रेजुएट, भविष्य निधि और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ संस्थान में संबंधित पद या सेवा धारण करेगा, जो उसके पास होते यदि एनआईटीटीटीआर, भोपाल की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया गया होता और तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि उसका रोजगार समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक कि उप-नियमों और/या नियमों में किसी परिवर्तन द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और नियम और शर्तों में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता।



50)

	2. संस्थान के अध्यक्ष एवं निदेशक अपने वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति तक अपने वर्तमान पदनामों के अधीन कार्य करते रहेंगे। आगामी भर्तियाँ इस संगठन आपन के प्रावधानों के अनुसार शुरू की जाएँगी।
	3. जब तक इस संगठन आपन के अंतर्गत प्रथम उपनियम और नियम नहीं बनाए जाते, तब तक इस संगठन आपन के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू भारत सरकार, एनआईटीटीआईआर, गोपाल के उपनियम, संस्थान पर लागू होते रहेंगे, बशर्ते ये इस संगठन आपन के प्रावधानों से असंगत न हों।
51)	प्रावधान की व्याख्या:- इस प्रमाणपत्र/संगठन के आपन, नियमों या संस्थान के उप-नियमों, विनियमों या आयोग के नियमों की व्याख्या के बारे में मतभेद की स्थिति में, आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार की राय अंतिम होगी।
52)	कठिनाइयों की निवृत्ति:- यूजीसी भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से इस संगठन आपन के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



(P2)

संस्था की प्रतिष्ठित नं. 13075
रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज
संशोधन विभाग 11/12/23
19/8/25-

असि. रजिस्ट्रार

TRUE-COPY

Handwritten signature
असि. रजिस्ट्रार
फॉर्म एवं संस्थाएं
गोपाल नर्मदापुरम संभाग, गोपाल



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CZ 015908

संस्थान के द्वारा जारी किया गया है और संशोधित नियमावली के अनुसार -
- काबल



CANCELLED
निरस्त

Manjiv
असि. रजिस्ट्रार
फार्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

$$\begin{array}{r} 1683 \\ 1002 \\ \hline 2510912 \end{array}$$

२१७५१३ नक्कासी दिहा कुचडिका
 दिहे कुचडिका नक्कासी नक्का

१७०८ २०१५
 २०१५ २०१५

२१७५१३ नक्कासी
 नक्कासी नक्का

